

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

प्रशासन गांवों के संग अभियान—2023 कोर्ट केम्प कवास

क्रमांक रीडर/2023/2035

दिनांक - 25/05/23

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण

1 मोती 2 मोहन 3 लिखमा पिसरान  
आईदान जाति माली निवासी ढुंढा तहसील  
बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

1 खेराजराम पुत्र रासींगाराम वगैराह जाति जाट  
निवासी भूरटिया तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला  
बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत

राजस्व आवेदन संख्या :- 126/2023

दिनांक-11/05/23

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा ढुंढा पटवार क्षेत्र कवास तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर के

खसरा संख्या 866/431 रकबा 4.1440 हैक्टेयर, खसरा संख्या 879/433 रकबा 0.0971 हैक्टेयर

भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण


को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को

नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन

व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर

पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार

पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।


  
(समदरसिंह भाटी)  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर-कारा

दिनांक- 25/05/23

क्रमांक :- रीडर/2023/236-39

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी कवास तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. मोती पुत्र आईदान वगैराह जाति जाति माली निवासी ढुंढा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी खेराजराम पुत्र रासींगाराम वगैराह जाति जाट निवासी भूरटिया तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

  
उपखण्ड अधिकारी,  
उपखण्ड अधिकारी  
बाड़मेर